क्रमांक : एफ.7(3)वित्त/एसपीएफसी/2015 जयपुर, दिनांक 10.09.2020

परिपत्र

विषयः– आरटीपीपी अधिनियम 2012 की धारा 46 के अंतर्गत विवर्जित (Debar) किये गये बोलीदाताओं से संबंधित सूचना राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर प्रदर्शित करने के संबंध में।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के धारा 46 के अंतर्गत बोलीदाताओं द्वारा किये जाने वाले विभिन्न दोषों/अपराधों हेतु निम्न विवरणानुसार बोली लगाने से विवर्जित (Debar) किये जाने के प्रावधान किये गये है:–

1. यदि बोलीदाता –

(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 49) के अधीन; या

(ख) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन, लोक उपापन संविदा के निष्पादन के भाग के रूप में जीवन या सम्पत्ति की हानि कारित करने या लोक स्वास्थ्य की आशंका कारित करने के, किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है।

2. उप–धारा (1) के अधीन विवर्जित बोली लगाने वाला उस तारीख, जिसको वह विवर्जित किया गया था, से प्रारम्भ होने वाली तीन् वर्ष के अनधिक की अवधि के लिए किसी उपापन संस्था की उपापन प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य नहीं होगा।

3. यदि उपापन संस्था यह पाती है कि किसी बोली लगाने वाले ने धारा 11 के निबंधनों में विहित सत्यनिष्ठा संहिता का भंग किया है तो वह बोली लगाने वाले को तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए विवर्जित कर सकेगी।

4. जहाँ किसी बोली लगाने वाले की सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य संपादन प्रतिभूति या, यथास्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहृत कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्थान द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

इसी संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17(छ) के अनुसार बोली लगाने वालों, जिन्हें राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था द्वारा विवर्जित किया गया है, कि विशिष्टियां, साथ ही उपापन संस्था का नाम, विवर्जन की कार्यवाही का कारण और विवर्जन की कालावधि का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल पर किया जाना आवश्यक है।

परंतु यह देखा गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा दोषी बोलीदाताओं के विरूद्ध की गयी विवर्जन की कार्यवाही से संबंधित विवरण का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल पर नहीं किया जा रहा है। इसे राज्य सरकार द्वारा अत्यधिक गंभीरता से लिया गया है।

अतः इस बाबत् समस्त उपापन संस्थाओं को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार दोषी पाये गये एवं विवर्जित किये गये सभी बोलीदाताओं से संबंधित सूचनाओं का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल पर आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही ऐसे प्रकरणों की समेकित सूचना इस विभाग को 15 दिवस में प्रेषित की जावें जिनमें दोषी बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति/कार्य संपादन प्रतिभूति जब्त कर ली गई हो परंतु उन्हें विवर्जित करने की कार्यवाही नहीं की गई।

(टी रविकान्त)
शासन सचिव
वित्त (बजट) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/ जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/ सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर/ संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
15. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

Room No. 5133, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227934 www. finance.rajasthan.gov.in E-mail - secretarybudget@rajasthan.gov.in